फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व विविध प्रकरण जीसीएमएस नंबर 2025/362
बअनवान भंवरलाल बनाम गोपा वगैरा
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
(प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सी.पी.सी.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
22/12/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी श्री ओम प्रकाश दवे उपस्थित। वकील अप्रार्थीगण श्री हिम्मत धनेरा उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 16 पैरोकार सरकार उपस्थित। उपस्थित वकुलाय की प्रार्थना पत्र धारा 151 सी.पी.सी एवं मूल प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर बहस पर मनन के पश्चात ज्ञात है कि वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 सी.पी.सी के साथ प्रस्तुत अण्डर टेकिंग में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये दलील दी जा रही हैं कि खसरा नंबर 2516 रकबा 0.09 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन में बिजली कनेक्शन का डिमाण्ड आया हुआ है, परन्तु स्थगन की वजह से बिजली कनेक्शन में कठिनाई हो रही है, अतः विधुत कनेक्शन की स्वीकृति दी जावे। इसके बाद न्यायालय द्वारा मूल वाद में जो भी निर्णय पारित होगा, उसकी पालना के लिये प्रार्थी बाध्य होगा। इसके साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा के सबंध में न्यायालय द्वारा दिनांक 07.07.2025 को पारित अंतरिम आदेश को मूल वाद के निर्णय तक पुख्ता किया जाने की दलील दी। इसके विपरित अधिवक्ता अप्रार्थी की दलील हैं कि वादग्रस्त भूमि सह खातेदारी की भूमि है, जिसका विभाजन के पश्चात् ही यह तय होगा कि किस व्यक्ति के हिस्से बंट में कौनसी भूमि आई, इससे पहले तो सभी सह खातेदार का कब्जा माना जाता है। जिससे प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपुरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में नहीं होने से अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की दलील दी गई। चूँकि भूमि सह खातेदारी की भूमि है, तथा न्यायालय द्वारा मौके की यथा स्थिति बाबत् अंतरिम आदेश पारित है। परन्तु प्रस्तुत तथ्यो एवं रसीदो से ज्ञात हैं कि जोधपुर विधुत वितरण निगम लि0 में राशि भी बिजली कनेक्शन के लिये प्रार्थी द्वारा जमा करा दी है तथा सह खातेदारो की आजीविका से जुडा हुआ संवेदनशील विषय है, जिससे प्रार्थी की मांग अनुसार बिजली कनेक्शन की अनुंमति दिया जाना न्याय संगत है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार करते हुये प्रार्थी को बिजली कनेक्शन की अनुमति दी जाती है। जहां तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को पुख्ता किये जाने का प्रश्न है, मूल वाद के निर्णय तक मौके की यथा स्थिति कायम रखा जाना न्यायसंगत है, क्योंकि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता हैं तो मौके पर बिना विभाजन के ही किसी विशेष भू0 भाग पर पक्का निर्माण हो जावेगा, जिससे पक्षकारो में अनावश्यक विवाद बढेगा। अतः प्रार्थी को बिजली कनेक्शन के लिये अनुमत करते हुये मूल वाद के निर्णय तक ग्राम चामुण्डेरी राणावतान स्थित भूमि खसरा नंबर 2394/6, 2394/7, 2396/3, 2396/6 कुल खसरा –04 कुल रकबा 1.52 हैक्टर एवं खसरा नंबर 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523 कुल खसरा–12 कुल	

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	रकबा 3.100 हैक्टर के मौके की यथा स्थिति मूल वाद तक कायम रखे जाने की अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण जारी की जाती है। बिजली कनेक्शन की अनुमति अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with OKEN Scanner